

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्र. सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
15/5/19	136 Cr. Pct.	4722 पुर	5931
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
कल्याण	बनाम	सरकार	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

18/5/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 Cr. Pct. विरुद्ध अप्राचीनता के इस न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सहित वा अलोकित किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्राचीनता को परिधि सक्त रद्द कर 15/5/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">8</p>	
15-4-19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 21-5-19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
21/5/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 26/6/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
26/6/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 31/7/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
31/7/19	<p>आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 11/9/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	

रजिस्ट्रार
महोदय के लिये
कार्यवाही के लिये

16/6/21

अन्य नौकरियों के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 13/12/21 को पेश हो।

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी
छबड़ा (बारा)

13/7/21

अन्य नौकरियों के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 18/8/21 को पेश हो।

न्यायालय सप्लाइ अधिकारी
छबड़ा (बारा)

18⁰⁸/₂₁

पत्रावली कोविड-19 के कारण पूर्ववत् स्थिति में पेश हुई। नवीन प्राप्ति उपस्थित। तदधीन से रिपोर्ट अप्रप्त पत्रावली वास्ते रिपोर्ट। नवाब तहसीलदार दिनांक 5/10/21 को पेश हो।

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021

10¹¹/₂₁

पत्रावली प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 शिबिर भीलवाड़ा गीन्दा पर पेश हुई। प्रकरण प्राप्ति द्वारा मुराराल कर्मानियास 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें रिपोर्ट बताया कि आस भादरपुर के रहता सन् 1988 में प्राप्ति भा नारा कल्लू पुत्र मधुसलाल दर्ज है जबकि प्राप्ति का वास्तविक नाम कल्याण श. मधुसलाल है। अतः कल्लू पुत्र मधुसलाल के लिये पर कल्याण पुत्र मधुसलाल शब्द कर राजस्व रिमाई में दुरुस्त कराने की कृपा हो।

प्राप्ति द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति पत्र पर तदधीनदार इवडा से रिपोर्ट ली गई। तदधीनदार इवडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मजसे आस में प्राप्ति मधुसलाल पुत्र मधुसलाल एवं मजसे पुत्र मधुसलाल के पत्रावली लिए गए जो सडरकोते दार है उन्हे ने अपने पत्रावली में प्राप्ति मजसे वक्त जारी ईतमाल

शेकलते समय कल्लू दर्ज हो गया है कल्लू को कल्याण के नाम से भी जानते हैं दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

प्राणी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं वपनार के आधार पर प्राणी का समाप्त नाम कल्लू के स्थान पर कल्याण उर्फ कल्लू पुत्र मधुसालात दर्ज किया जाना उचित होगा।

मुत्तमिक तहसीलदार इपडा की रिपोर्ट के आधार पर मू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्राणी का नाम ग्राम कादरपुरा तहसील इपडा के खता संख्या 18 में के प्राणी का नाम कल्याण उर्फ कल्लू पुत्र मधुसालात दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार इपडा को दिये जाते हैं। आदेश प्रति प्रथम से जारी हो पत्रोपरी 11 शाल शुभार होकर वापिस वपनार हो। म

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज०)

प्रशासन गाँव के संग अभियान-2021

उपखण्ड अधिकारी कल्याण निला बारां (राज0)

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्री लक्ष्मी देवी व मू.अ.नि. द्वारा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बारां/कल्याण तहसीलदार बारां की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कादरपुरा तहसील द्वारा जिला बारां की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 में खाता संख्या 18 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कादरपुरा</u>	18	<u>कल्लू पुत्र मधुरा</u>	<u>कल्याण उर्फ कल्लू पुत्र मधुरा</u>



[Signature]
(मनीषा तिवारी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)

क्रमांक/रीडर/लोक अदालत/2021/ले.प्र.मि.लक्ष्मी देवी/167

दिनांक 10.11.2021

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार द्वारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री कल्याण उर्फ कल्लू पुत्र मधुरा कादरपुरा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

[Signature]
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला बारां (राज0)